

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलाहाबाद
पत्र सं०: 2018/41275 / इला० / इलाहाबाद /393/ सीएफओ दिनांक: मार्च, 13, 2018
सेवा में,

सचिव/अपर सचिव
इलाहाबाद विकास प्रधिकरण
इलाहाबाद।

विषय—आराजी सं०— 82, 83, 85, 86, 89, 93, 94, 95क, 95ख, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, मौजा— जलालपुर धोसी, तहसील— सदर, इलाहाबाद (क्षेत्रफल— 52510.00 वर्ग मीटर) पर दाखिल संशोधित ले—आउट एवं समूह आवास भवन मानचित्र पर अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ—185/प्र०अ० (त०स०)/जोन-2/वि०प्रा०/2017-18, दिनांक :17/02/2018
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र संख्या— 185/प्र०अ० (त०स०)/जोन-2/वि०प्रा०/2017-18, दिनांक :17/02/2018 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत दाखिल प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र पर अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त प्रश्नगत श्री/मेसर्स— मयंक जायसवाल, डायरेक्टर, दि इनोवेटर्स डिजिटल एड्स प्रा०लि०, पंजीकृत कार्यालय— 91, कटधर, इलाहाबाद द्वारा आराजी सं०— 82, 83, 85, 86, 89, 93, 94, 95क, 95ख, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, मौजा— जलालपुर धोसी, तहसील— सदर, इलाहाबाद (क्षेत्रफल— 52510.00 वर्ग मीटर) पर दाखिल संशोधित ले—आउट एवं समूह आवास भवन मानचित्रों में अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थल का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन्स श्री लाल जी गुप्ता द्वारा अंकित मापो के आधार पर किया गया। अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन्स, इलाहाबाद की आख्या दिनांक: 12/03/2018 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है—

भवन की संरचना—

- 1 कुल भूखण्ड— 52510.00 वर्गमी०।
- 2 निर्मित भूतल कवर्ड एरिया— ब्लॉक— ग्रुप हाउसिंग—1, 1047.878 वर्गमी०, ब्लॉक— ग्रुप हाउसिंग—2, 1220.536 वर्गमी०, ब्लॉक— ग्रुप हाउसिंग—3 एवं यलआईजी— 1059.259 वर्गमी०, ब्लॉक— ईडब्लूयस— 393.231 वर्ग मी०, लोराईज— 901.776 वर्ग मी०।
- 3 प्रथम तल से दसवें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया—, ब्लॉक— ग्रुप हाउसिंग—1, 1047.878 वर्गमी०, प्रथम तल से दसवें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया— ब्लॉक— ग्रुप हाउसिंग—2, 1220.536 वर्गमी०, प्रथम तल से छठवें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया— ब्लॉक— ग्रुप हाउसिंग—3 एवं यलआईजी— 1059.259 वर्गमी०, प्रथम तल से छठवें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया— ब्लॉक— ईडब्लूयस— 393.231 वर्ग मी०, प्रथम तल से चतुर्थ तल का टिपिकल कवर्ड एरिया— लोराईज— 901.776 वर्ग मी०।



(2)

- 4 बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया— 7396.914 वर्गमी०।
- 5 बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया— 8491.166 वर्गमी०।
- 6 बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया— निल, वर्गमी०।
- 7 भवन की ऊँचाई— ग्रुप हाउसिंग—1, एवं 2,— 34.650 मी०, ग्रुप हाउसिंग—3 एवं यलआईजी तथा ईडब्लूयस— 20.80 मी०, लोराईज— 14.90 मी०।
- 8 भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी—प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की रेजिडेन्सियल श्रेणी के ग्रुप ए—5 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था —

- 1 पहुँच मार्ग — भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 30.00 मी० रोड की चौड़ाई है।
- 2 प्रवेश द्वार की चौड़ाई — 05.00 मी० जो मानक के अनुसार अपेक्षित है।
- 3 सेट बैक — प्रस्तावित भवन का सेट बैक निम्नवत् है—

	ग्रुप हाउसिंग—1, एवं 2,		ग्रुप हाउसिंग—3 एवं यलआईजी, ईडब्लूयस,		लोराईज
क. अग्रभाग	12.000	—मी०	09.000	—मी०	07.000 —मी० 07.000 —मी०
ख. पृष्ठ भाग	12.000	—मी०	09.000	—मी०	07.000 —मी० 05.000 —मी०
ग. पार्श्व भाग प्रथम	12.000	—मी०	08.000	—मी०	07.000 —मी० 06.000 —मी०
घ. पार्श्व भाग द्वितीय	12.000	—मी०	08.000	—मी०	07.000 —मी० 06.000 —मी०

उपरोक्तानुसार भवन के सेट बैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। परियोजना के निर्माण में एन०बी०सी०— 2005 पार्ट— 4 के बिन्दू 3:4:6:1 का विशेष ध्यान रखा जाय। सेटबैक में अण्डर ग्राउण्ड टैंक एवं यस्टीपी का निर्माण किया गया है, जिस पर 45 टन का लोड वियरिंग का प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा।

4. निकास मार्ग— प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में पर 01 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1.50 मी०, तथा 01 फायर स्केप जिसकी चौड़ाई 1.20 मी०, का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। लोराईज ब्लॉक में 01 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1.50 मी०, का प्राविधान किया गया है।

5. रिफ्यूज एरिया का विवरण — प्रत्येक फ्लैट के प्रत्येक ब्लॉक में एन.बी.सी.—2005 के पार्ट —4 के बिन्दु 4:12:3 के अनुसार बालकनी उपलब्ध करायी गयी है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था — नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया— 2016 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1 भूमिगत टैंक: प्रस्तावित भवन में 1,50,000.00 लीटर का भूमिगत टैंक मानकों के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।

2. पम्प : प्रस्तावित भवन में एक इलेक्ट्रिक एवं एक डीजल पम्प 2280 एल०पी०एम० क्षमता का तथा एक जाकी पम्प 180 एल०पी०एम० क्षमता का मानकों के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।

3 होजरील : प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई०एस०— 3844 मानकों के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।

(3)

- 4 **वेटराइजर:** प्रस्तावित भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0- 2016 मानकों के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।
- 5 **प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन:** परिसर में यार्ड हाईड्रेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्रविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार- अपेक्षित है।
- 6 **हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :** प्रस्तावित भवन में मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी-2016 मानकों एवं आई0यस0-2189-2008 के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।
- 7 **स्व: चालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम :** अपेक्षित नहीं है।
- 8 **स्व: चालित स्प्रिंकलर सिस्टम :** प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में स्व: चालित स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0- 2016 मानकों के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।
- 9 **टेरिस टैंक :** प्रस्तावित भवन के टेरिस पर टेरिस टैंक 25,000 ली0 क्षमता का एन0बी0सी- 2016 मानकों के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।
- 10 **टेरिस पम्प :** प्रस्तावित भवन के टेरिस पर टेरिस पम्प 900 यलपीएम क्षमता का एन0बी0सी- 2016 मानकों के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।
- 11 **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):** प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई. एस. 2190 के अनुसार प्राविधानित किया जाय, जो मानकों के अनुरूप है।
- 12 **स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम :**
क. फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग का- आवश्यक है।
ख. बेसमेन्ट में कम से कम 30 बार एयर चेंज प्रतिघन्टा प्रणाली का लगाया जाना- आवश्यक है।
13. **प्रेशराईजेशन प्रणाली :**
क. निकास स्थानों पर प्रेशराईजेशन की गई है, व प्रयुक्त होने वाले फैंस की डक्टिंग इत्यादि, एन0बी0सी0- 2016 के खण्ड 4 के बिन्दु 4.4.2.5 व टेबुल 6 के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित है।
ख. प्रेशराईजेशन सिस्टम डिटेक्शन से इण्टरलिंक, अपेक्षित है।
- 14 **एग्जिट साइनेज:** प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किया जाय।
- 15 **पी0ए0 सिस्टम:** पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार श्री/मेसर्स मयंक जायसवाल, डायरेक्टर, दि इनोवेटर्स डिजिटल एड्स प्रा0लि0, पंजीकृत कार्यालय- 91, कटधर, इलाहाबाद द्वारा आराजी सं0- 82, 83, 85, 86, 89, 93, 94, 95क, 95ख, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, मौजा- जलालपुर धोसी, तहसील- सदर, इलाहाबाद (क्षेत्रफल- 52510.00 वर्ग मीटर) पर दाखिल संशोधित ले-आउट एवं समूह आवास भवन मानचित्रों के अनुरूप भवन निर्माण हेतु अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया -2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा एन0बी0सी0-2005 के खण्ड-4 की प्रस्तावना के अनुसार परियोजना के प्रारम्भ से ही किसी प्रशिक्षित फायर इन्जीनियर से मार्ग दर्शन लिया जाना उचित होगा ताकि अग्निशमन व्यवस्थाओं का उचितानुसार समावेश हो सके तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग



(4)

करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भैतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायगा।

(आर० यस० मिश्रा)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
इलाहाबाद

प्रतिलिप—

1. उपनिदेशक, अग्निशमन सेवा, इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

(आर० यस० मिश्रा)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
इलाहाबाद